न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/2473/2003/नागौर

1. नाथूराम पुत्र हजारी मल, जाति ब्राह्मण, निवासी अलतवा, तहसील मकराना, जिला नागौर – फौत
   - 1.1 भंवर लाल
   - 1.2 गिरधारी } पुत्रान नाथूराम
   - 1.3 कैलाश
   - 1.4 ज्यानादेवी बेवा नाथूराम
   - 1.5 कौशल्या
   - 1.6 भगवती देवी } पुत्रियां नाथूराम
   - 1.7 मंजूदेवी

   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी अलतवा, तहसील मकराना, जिला नागौर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. हनुमान प्रसाद
2. राधेश्याम } पुत्रान अर्जुन लाल
3. सीताराम
4. किशनलाल } नाबा0 पुत्रान छोटूराम जरिये कुदरती वली
5. रमेश } रैस्पो0 संख्या 6 मु0 धापूदेवी
6. मु0 धापू देवी पत्नी स्व0 श्री छोटूराम

   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी अलतवा, तहसील मकराना, जिला नागौर।
7. राजस्थान सरकार

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री एल0के0 पण्ड्या, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः – 24–06–2019

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 80/2001 शीर्षक नाथूराम बनाम हनुमान प्रसाद वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05–05–2003 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण/रैस्पो0 द्वारा सहायक कलक्टर, मकराना के न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया कि वादी संख्या 1 ता 3 केपिता व 4–5 के दादा स्व0 अर्जुनलाल एवं प्रतिवादी संख्या–1 के पिता स्व0

हजारी सगे भाई थे। ग्राम अलतवा एवं मेवडा में डोलीदार जागीर का था जिसमें उनके खुदकाश्त की भूमि खसरा नम्बरान 466, 541, 44/1, 48/1 व 48/2 कुल रकबा 72 बीघा 18 बिस्वा थी किन्तु जब जागीर रिज्यूम हुई तो कर्त्ता परिवार होने से यह आराजी हजारीमल के नाम दर्ज हो गई, जब कि अर्जुनलाल का आराजी में 1/2 हिस्सा निहित रहा है। पूर्वजों द्वारा आराजी का बॅटवारा भी कर लिया गया था जिसके अनुसार खसरा नम्बरान 476 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, 541रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा, 48/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में 1/2 पूर्वी हिस्सा वादीगण के पूर्वज अर्जुन लाल के हिस्से में आया और खसरा नम्बर 44/1 रकबा 33 बीघा 3 बिस्वा, 48/1 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 48/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा प्रतिवादी के पिता स्व0 हजारी के हिस्सें में आया और इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी के पूर्वज और उनके बाद अब वादीगण व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। प्रश्नगत आराजी कर्त्ता परिवार होने से पहले हजारीमल के नाम अंकित हो गई और अब जरिये नामांतरकरण उसके वारिसान प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई है। प्रतिवादी द्वारा धमकी देने से यह दावा लाया गया है। अतः दावा वादी डिक्री कर खसरा नम्बरान 476 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, 541रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा, 48 में से रकबा 1 बीघा साढे चौदह बिस्वा की खातेदारी वादीगण के नाम की जाये और खसरा नम्बर 44/1 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा, 48/1 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 48/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–1 के नाम की जाये तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाख्लत नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाये। जबाबदावा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया कि उक्त सम्पूर्ण रकबा 72 बीघा 18 बिस्वा का डोलीदार जागीरदार अकेला हजारीमल था, जिसके नाम खातेदारी हुई है और अब वारिस होने से वर्तमान में प्रतिवादी के नाम खातेदारी है। अर्जुनलाल व दूसरे भाई हरिराम के हिस्से में ग्राम मेवाडा की जागीर थी, जो उनके हिस्से में आई। वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता संयुक्त परिवार में नहीं रहे हैं। दावा खारिज किया जाये। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, मकराना ने निर्णय दिनांक 31–7–2001 के द्वारा वादी के वाद को डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय दिनांक 05–08–2003 के द्वारा अपील खारिज की गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील मूल वाद के प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी–प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये अविधिक निर्णय पारित किये हैं जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि वादी द्वारा वादपत्र में मुख्य रुप से यही उज्र लिया गया था कि “प्रश्नगत आराजी वादी संख्या 1

ता 3 के पिता व 4–5 के दादा स्व0 अर्जुनलाल एवं प्रतिवादी संख्या–1 के पिता स्व0 हजारी की खुदकाश्त की भूमि थी किन्तु जब जागीर रिज्यूम हुई तो कर्त्ता परिवार होने से यह आराजी हजारीमल के नाम दर्ज हो गई, जब कि अर्जुनलाल का आराजी में 1/2 हिस्सा निहित रहा है।" योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रतिवादी/अपीलार्थी ने अपने जबाबदावा में स्पष्ट रुप से अंकित कर दिया था कि लालाराम के तीन पुत्र हरिराम, हजारीराम व अर्जुनलाल हुये और प्रति0 के पिता हजारी मल सैटलमैंट से काफी पहले ही ग्राम अलतवा में रहने लग गये थे और अर्जुनलाल व उसके भाई हरिराम ग्राम मेवडा में रहते थे और वहीं उन्हीं भूमि प्राप्त हुई है। स्व0 हजारी मल संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नहीं रहे हैं। विवादित भूमि हजारी मल की खुदकाश्त की भूमि थी और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13 के तहत हजारी मल कानूनी प्रावधानों के तहत खातेदार हुये हैं। वादग्रस्त आराजी कभी भी पुश्तैनी भूमि नहीं रही है, ना ही उनका आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है। कब्जे के अभाव में उनका दावा चलने योग्य ही नहीं रहा है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में तकास्मा की डिक्री पारित किऐ बिना ही दावा वादी अविधिक रुप से डिक्री किया है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अविधिक रुप से पुष्ट कर दिया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें।

5– रैस्पो0/वादीगण पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि डोली जागीर की भूमि थी और वादी संख्या 1 ता 3 के पिता व 4–5 के दादा स्व0 अर्जुनलाल एवं प्रतिवादी संख्या–1 के पिता स्व0 हजारी सगे भाई थे। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बरान 466, 541, 44/1, 48/1 व 48/2 उनकी खुदकाश्त में थी किन्तु जागीर रिज्यूम हुई तो कर्त्ता परिवार होने से यह आराजी प्रतिवादी के पिता हजारीमल के नाम दर्ज हो गई, जब कि अर्जुनलाल का आराजी में 1/2 हिस्सा निहित रहा है। हमारे पूर्वजों द्वारा आराजी का मौखिक बॅटवारा भी कर लिया गया था। वादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य पी0ड01 से पी0ड0 9 तक प्रस्तुत की हैं वे सभी हमारे कब्जे के पक्ष में बयान देते हैं। इसके अलावा जो खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018–21, 2014–17 खतौनी सम्वत् 2042–45, 2010–13, 2014–17, 2030–33, 2033–36 व 2037–40 प्रस्तुत की हैं इनके अर्जुन लाल की काश्त होने के अंकन हैं। वादीगण को बेदखल किए जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेजी रेकार्ड पर नहीं है, अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर वादीगण का पूर्व से ही कब्जा काश्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से पुष्ट हो रहा है। प्रतिवादी ने ये भी कथन किया था कि अर्जुनलाल के हिस्से में मेवाडा की जमीन आई है जो उसके द्वारा बेचान कर दी गई है, किन्तु अर्जुनलाल के हिस्से में मेवाडा में जमीन आने व उसे बेचान करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः

प्रश्नगत भूमि में वादीगण के पक्ष में 1/2 हिस्से की डिक्री प्रदान करने में परीक्षण न्यायालय ने किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिक भूल नहीं की है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं और समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है, अपील खारिज की जाये।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन–अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादीगण/रैस्पो0 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष घोषणा, दुरुस्ती, बॅटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि " वादी संख्या 1 ता 3 के पिता व 4–5 के दादा स्व0 अर्जुनलाल एवं प्रतिवादी संख्या–1 के पिता स्व0 हजारी सगे भाई थे। ग्राम अलतवा एवं ग्राम मेवडा में डोलीदार जागीर का था जिसमें उनके खुदकाश्त की भूमि खसरा नम्बरान 466, 541, 44/1, 48/1 व 48/2 कुल रकबा 72 बीघा 18 बिस्वा थी किन्तु जब जागीर रिज्यूम हुई तो कर्त्ता परिवार होने से यह आराजी हजारीमल के नाम दर्ज हो गई, जब कि अर्जुनलाल का आराजी में 1/2 हिस्सा निहित रहा है। पूर्वजों द्वारा आराजी का बॅटवारा भी कर लिया गया था जिसके अनुसार खसरा नम्बरान 476 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, 541रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा, 48/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में 1/2 पूर्वी हिस्सा वादीगण के पूर्वज अर्जुन लाल के हिस्से में आया और खसरा नम्बर 44/1 रकबा 33 बीघा 3 बिस्वा, 48/1 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 48/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा प्रतिवादी के पिता स्व0 हजारी के हिस्सें में आया और इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी के पूर्वज और उनके बाद अब वादीगण व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। प्रश्नगत आराजी कर्त्ता परिवार होने से पहले हजारीमल के नाम अंकित हो गई और अब जरिये नामांतरकरण उसके वारिसान प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई है। प्रतिवादी द्वारा धमकी देने से यह दावा लाया गया है। अतः दावा वादी डिक्री कर खसरा नम्बरान 476 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, 541रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा, 48 में से रकबा 1 बीघा साढे चौदह बिस्वा की खातेदारी वादीगण के नाम की जाये और खसरा नम्बर 44/1 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा, 48/1 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 48/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–1 के नाम की जाये तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाख्लत नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाये।" प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो जबाबदावा प्रस्तुत किया है उसमें वादी के वादपत्र के कथनों से असहमत व्यक्ति की है और अंकित किया गया है कि उक्त सम्पूर्ण रकबा 72 बीघा 18 बिस्वा का डोलीदार जागीरदार अकेला हजारीमल था, जिसके नाम खातेदारी हुई है और अब वारिस होने से वर्तमान में प्रतिवादी के नाम खातेदारी है। अर्जुनलाल व दूसरे भाई हरिराम के हिस्से

में ग्राम मेवाडा की जागीर थी, जो उनके हिस्से में आई। वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता संयुक्त परिवार में नहीं रहे हैं। दावा खारिज किया जाये। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में तनकी संख्या–1 इस आशय की कायम की है आया वादीगण प्रश्नगत आराजी के पूर्वी निस्फ हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा अपने नाम कराने के अधिकारी हैं तथा तनकी संख्या–2 इस आशय की कायम की गई है कि आया वादीगण उपरोक्त आराजी बाबत् वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने बाबत् प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, इन तनकियों को साबित करने का भार वादी को दिया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य पी0ड01 जयनारायण, पी0ड02 औकारा राम, पी0ड03 मौजीराम, पी0ड04 लक्ष्मीनारायण, पी0ड0 5 कन्हैंयालाल, पी0ड06 मुकुन्द सिंह, पी0ड0 7 रामाराम, पी0ड0 8 त्रिलोक चन्द व पी0ड0 9 सीताराम के बयानों के अवलोकन से जाहिर होता है कि ये सभी गवाह किसी न किसी प्रकार से अर्जुन लाल का भूमि पर कब्जा होने का कथन करते हैं और परीक्षण न्यायालय ने भी तनकी संख्या 1 के निर्णय में अंकित किया है कि "जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है वादीगण के गवाहान पी0ड0 1 से पी0ड09 ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि वादीगण का कब्जा काश्त खेडी के रास्ते वाली जमीन व गॉव के पास आये बाडे पर है। खेडी के रास्ते वाली जमीन के खसरा नम्बर 476 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 541 रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा तथा बाडे वाली भूमि का खसरा नम्बर 48/1 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा है। खेडी के रास्ते वाली जमीन पर वादीगण का कब्जा व काश्त होना प्रतिवादी संख्या–1 गवाह भी स्वीकार करते है। वादीगण के कब्जे के तथ्य को प्रतिवादी के गवाहान भी खण्डित नहीं कर सके हैं।" तनकी संख्या–1 के विवेचन में ही परीक्षण न्यायालय ने अंकित किया है "आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 10.04 बीघा पर सम्वत् 2010 से 2013, सम्वत् 2014 से 20178, सम्वत् 2018 से 2020 एवं सम्वत् 2031 में अर्जुन की काश्त दर्ज है। सम्वत् 2010 से 2017 तक अर्जुन की काश्त बहैसियत टीनैण्ट दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 541 पर सम्वत् 2015–2017 व सम्वत् 2018 से 2020 में अरजन की काश्त दर्ज है तथा सम्वत् 2031 व 2032 में हणमान पुत्र अरजन की काश्त दर्ज है। उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित है तथा सम्वत् 2032 के बाद वादीगण को बेदखल किए जाने का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिससे यह अवधारण उत्पन्न होती है कि वाद प्रस्तुत करने की तिथि तक वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों साक्ष्य से वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर टिनेन्सी एक्ट लागू होने के समय से ले कर वाद प्रस्तुत करने की तिथि तक कब्जा काश्त होना प्रमाणित है।" उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनियम के प्रभाव में आने के समय दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वादीगण के पिता अर्जुनलाल का प्रश्नगत आराजी में कब्जा काश्त रहा है। अतः अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या– 1 व 2 का विस्तार से जो विवेचन किया है वह उचित प्रतीत होता है।

8. प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि प्रतिवादी ने संशोधित वाद का जो जबाब प्रस्तुत किया है उसमें मद संख्या–1 में अंकित किया है कि "प्रतिवादी का पिता गॉव अलतवा में डोलीदार जागीरदार था और ग्राम अलतवा में जो जागीर खुदकाश्त के खेत थे उसके डोलीदार जागीरदार प्रतिवादी के पिता हजारीमल थे।" अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पक्षकारान की स्व–अर्जित भूमि नहीं थी। इसी प्रकार से प्रतिवादी ने जबाबदावे के मद संख्या– 3 में अंकित किया है कि "मेवाडा में करीब 120 बीघा भूमि थी जिसमें से अर्जुनलाल ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी।" किन्तु अपने इस कथन की पुष्टि के लिए प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि अर्जुनलाल के पक्ष में ग्राम मेवाडा में कोई जमीन आई हो और उसके द्वारा उसे बेचान किया गया हो। पी0ड0 10 भंवरलाल व पी0ड0 11 माणक चन्द जो ग्राम मेवाडा के निवासी हैं ने भी अपने बयानों में कहा है कि अर्जुनलाल के हिस्से में कोई जमीन नहीं आई थी, न ही अर्जुनलाल ने कोई जमीन बेची है। इस प्रकार अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 व 4 को सही प्रकार से विवेचित किया है, इनके निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की हमें आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

9. तनकी संख्या 5 इस आशय की कायम की है कि आया विवादित भूमि प्रतिवादी के पिता हजारीमल के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण को कोई हकूक खातेदारी पैदा नहीं होते और तनकी संख्या 6 इस आशय की कायम की गई है कि आया प्रतिवादी वादीगण के खिलाफ विवादित भूमि में दखलंदाजी न करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं। जैसा कि उपरोक्त तनकी संख्या 1 लगायत 4 में विवेचन किया जा चुका है कि प्रश्नगत आराजी में निस्फ हिस्सा प्रारम्भ से ही वादी के पिता अर्जुन लाल के कब्जे काश्त में रहा है और यह भी पुष्ट नहीं होता है कि ग्राम मेवाडा में अर्जुन लाल को किसी प्रकार की भूमि प्राप्त हुई हो या उसके द्वारा बेचान की गई हो, अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 5 व 6 को विरुद्ध प्रतिवादी तय करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है, उक्त तनकियों का निर्णय यथावत बहाल रखा जाता है।

10. अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में तनकी संख्या–1 में स्पष्ट अंकित किया है कि "सम्वत् 2010–13 की खतौनी व उस समय की खसरा गिरदावरियों में भी हजारीलाल को डोलीदार होना अंकित किया हुआ है। डोलियां पुश्तैनी जागीर की होने के कारण वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर बराबर 1/2 हिस्से का कब्जा काश्त होने से व केवल सैटलमैंट प्रविष्टियों में अपीलाण्ट/प्रतिवादी का नाम से तथा वे प्रविष्टियां अंतिम नहीं होने से उन्हें अन्य पुख्ता साक्ष्य से खण्डित किया जा सकता है।" इस प्रकार अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में परीक्षण न्यायालय

के निर्णय को पुष्ट किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन करते हुये विस्तार से तनकीवार निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विवेचन उपरान्त अपील खारिज कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया है। अतः न्याय दृष्टान्त आर0बी0जे0 (23) 2016 पेज 482 (डी0बी0 माननीय राजस्व मण्डल), आर0बी0जे0 (16) 2009 पेज 725 (डी0बी0 माननीय राजस्व मण्डल) के अनुसरण में समवर्ती निर्णयों में हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। फलतः अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य